राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3121/2023

ख्याली राम मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
4. ब्लॉक मुख्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लक्ष्मणगढ़, अलवर।
5. निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.11.2023
आदेश की दिनांक : 11.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त टेलर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : **अनुपस्थित।**

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत नहीं की गई और पेंशन/पीपीओ आदेश, ग्रेच्यूटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृति लाभ जारी नहीं किये गये, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी दिनांक 31.10.2022 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया (अनुलग्नक–1)। आदेश दिनांक 31.10.2022 के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण) की धारा 16 के तहत कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है। अपीलार्थी को प्रारंभ में दिनांक 26.02.1991 (अनुलग्नक–2) द्वारा मल्टी परपज हैल्थ वर्कर (पुरुष) के पद पर नियुक्त किया गया था। मल्टी परपज हैल्थ वर्कर (पुरुष) के पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के तहत सीधी भर्ती के माध्यम होती है। यह एक एकाकी पद है। अपीलार्थी को एसीपी/चयनित वेतनमान से वंचित किया गया था, जिसके कारण अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर के समक्ष अपील संख्या 463/2019 में दायर की गई, जो आदेश दिनांक 22.05.2019 (अनुलग्नक–3) द्वारा निर्णय लिया गया और अनुमति दी गई, जिसमें माननीय न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। तृतीय एसीपी/चयनित वेतनमान को विभागीय जांच के लंबित होने के कारण

बढ़ाया नहीं जा सका, जो जांच अंततः बंद कर दी गई थी। अपीलार्थी ने 27.02.2018 को 27 वर्ष की सेवा पूरी कर ली, और तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 27.02.2018 को देय हो गया। चयनित वेतनमान देने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को आगे प्रेषित करने के लिए पत्र दिनांक 03.08.2022 (अनुलग्नक–4) के माध्यम से उपयुक्त प्राधिकारी को भेजा गया था, क्योंकि विभागीय जांच आदेश दिनांक 14.07.2022 द्वारा बंद कर दी गई थी। अपीलार्थी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, लक्ष्मणगढ़, अलवर के कार्यालय से दिनांक 31.10.2022 को सेवानिवृत्त हो गया। कार्यालय आदेश दिनांक 31.10.2022 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध कोई जांच या न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं है। 27 वर्ष पूर्ण होने पर अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान निर्धारित करने के उद्देश्य से संपूर्ण प्रासंगिक अभिलेख/दस्तावेज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को पत्र दिनांक 03.08.2022 के साथ भेज दिए गए थे। प्रत्यर्थी विभाग के आंतरिक संचार के कारण प्रकरण को लंबित रखा गया है। विभागीय जाँच दण्ड आदेश दिनांक 14.07.2022 में परिणित हुई (अनुलग्नक–5 से 8)। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर ने पत्र दिनांक 11.07.2023 द्वारा कार्यालय को भी सूचित किया कि बीसीएमओ, लक्ष्मणगढ़, अलवर, संबंधित अधिकारी को सहायक लेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अपीलार्थी को अंतिम पेंशन जारी करने का भी निर्देश दिया गया है, हालांकि, आज तक कोई पेंशन जारी नहीं की गई है। अपीलार्थी को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृति लाभों तथा तृतीय चयनित वेतनमान से वंचित किया गया है। अपीलार्थी ने न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 25.10.2023 (अनुलग्नक–9) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया गया परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को तृतीय एसीपी, पेंशन/पीपीओ आदेश, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृति लाभ 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से अपील में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति मल्टी परपज हैल्थ वर्कर के पद पर हुई थी। अपीलार्थी दिनांक 31.10.2022 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया (अनुलग्नक–1)। इस आदेश में स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण) की धारा 16 के तहत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग

के पत्र दिनांक 03.08.2022 (अनुलग्नक–4) से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की 27 वर्षीय सेवा अवधि दिनांक 27.02.2018 को पूर्ण हो चुकी है, किन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच लंबित होने के कारण उसका 27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 03.08.2022 द्वारा यह अवगत कराया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 14.07.2022 के अनुसार विभागीय जांच समाप्त की जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी पर किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही एवं न्यायिक प्रकरण लंबित नहीं है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पर तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत कर देय राशि का भुगतान कर दिया गया है, परन्तु सेवानिवृति दिनांक 31.10.2022 से अभी तक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति परिलाभों की स्वीकृति एवं भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी का पेंशन प्रकरण शीघ्र पेंशन विभाग को भिजवाया जाकर पीपीओ आदेश जारी किया जावे एवं अपीलार्थी के बकाया सेवानिवृति परिलाभों यथा अवकाश नगदीकरण, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही अधिकरण के निर्णय से दो माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)